

20.2.18

पत्रावली पेश हुई। वकील पद्मेश्वर इण्डिया
वकील वकी को संशोधित इन्वॉयस
पेश करने की हिदायत दी गई। पत्रावली
दिनांक 20.2.18 को पेश हो।

End
6.2.18

20
2/18

पत्रावली पेश हुई वकील पद्मेश्वर इण्डिया
वकील पद्मेश्वर को वर पत्र पर
सुना गया। वकील पद्मेश्वर ने अवगत
कराया कि उक्त उद्योग पत्रावली के
के सम्बन्ध में एक अन्य वर गोमुख
कानून दफ्तरी मु.नं. 41/08 विचारधीन
है जिसे वर उक्त प्रति समान है।
वकील पद्मेश्वर को सुना गया। पत्रावली
का प्रवर्धन एवं वकील पद्मेश्वर
को वर पत्र पर सुनने के पश्चात
श्रीमान वर गोमुख कानून दफ्तरी मु.नं.
41/08 व श्रीमान वर उद्योग दफ्तरी
कानून गोमुख मु.नं. 42/08 का प्रवर्धन
करने के पश्चात उक्त दोनों वरों में
वर उक्त प्रति समान है - चाही वर
दिलीप प्रसाद है तथा पद्मेश्वर द्वारा
वर उक्त प्रति का अंश वापस है
अंश वापस घोषणा का वर निर्गत होने
के वर ही होने सम्भव है हे। सिद्ध End

फर्द अहकाम

बनाम

नाम न्यायालय : सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट, बस्सी

राजस्व वाद/प्रार्थना पत्र/मुकदमा नम्बर :

क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से
		<p>धारा 10 CPC के तहत उत्तरवादी राजस्व कलक्टर गोमुख मु.नं. 44/08 को राजस्व वाद उत्तरवादी गोमुख कलक्टर द्वारा मु.नं. 44/08 के साथ दत्त कीमत की जाती है। परन्तु उत्तरवादी से वह होना उत्तरवादी राजस्व वाद गोमुख कलक्टर द्वारा मु.नं. 44/08 के साथ दत्त कीमत है।</p> <p style="text-align: right;"><i>Bmal</i> 20.2.18.</p>